



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 612]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2017/फाल्गुन 10, 1938

No. 612]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2017/PHALGUNA 10, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2017

का.आ. 682(अ).- जबकि, सेवाओं अथवा प्रसुविधाओं अथवा सहायकियों को प्रदान करने हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग करने से सरकारी परिदान की प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इसमें पारदर्शिता आती है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से तथा बिना किसी कठिनाई के अपनी पात्र सुविधाओं को सीधे प्राप्त करने में सुविधा होती है तथा आधार से किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने हेतु बहुविध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता नहीं होती है;

तथा जबकि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात् "मंत्रालय" कहा जाएगा), भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से "सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 "(जिसे इसके बाद "योजना" कहा जाएगा) के कार्यान्वयन की केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार पीड़ितों के पुनर्वास हेतु राहत एवं सहायता (जिसे इसके बाद "लाभ" कहा जाएगा)" प्रदान करने के साथ-साथ अंतर-जातीय विवाहों जहां दंपति में से कोई एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति (जिसे इसके बाद "लाभार्थी" कहा जाएगा) का सदस्य है, के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

तथा जबकि, इस योजना का वित्त पोषण पैटर्न इस प्रकार का है कि उपर्युक्त मदों पर किया गया वास्तविक व्यय केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 आधार पर किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस प्रयोजनार्थ 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्राप्त करते हैं।

तथा जबकि, उपर्युक्त योजना में किया गया पूर्ण अथवा आंशिक व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है;

अतः, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, मंत्रालय एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, नामतः:-

1. (1) उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से एतद्वारा यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार प्रमाण पत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करें अथवा आधार प्रमाणीकरण कराएं।

(2) इस योजना के तहत हितलाभों को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, जिनके पास आधार नहीं है या उन्होंने अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं कराया है, से एतद्वारा यह अपेक्षित है कि वह 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करे, बशर्ते कि वह आधार अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यीआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में इस योजना का कार्यान्वयन करने का प्रभारी विभाग, जिससे एक व्यक्ति को आधार प्रदान करना अपेक्षित है, को लाभार्थियों, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराना अपेक्षित है तथा ऐसे मामलों में जहां संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में योजना का कार्यान्वयन करने के प्रभावी विभाग के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यीआईडीएआई) के मौजूदा पंजीयकों के समन्वय में या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्टार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधा प्रदान कराए।

बशर्ते कि उस समय तक जब व्यक्ति को आधार सौंपा जाता है, तब तक योजना के तहत लाभ ऐसे लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्वधीन प्रदान किया जाएगा, नामतः:-

(क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति।

(ख) (i) फोटो सहित पासबुक, या (ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; अथवा (iii) राशन कार्ड, या (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; अथवा (v) पासपोर्ट; अथवा (vi) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस; या (vii) नरेगा जॉब कार्ड, या (viii) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लैटर हेड पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो की पहचान का प्रमाण-पत्र; या (ix) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज,

बशर्ते यह भी कि, उक्त दस्तावेजों की जांच, इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

बशर्ते यह भी की, जब एक लाभार्थी को समयबद्ध ढंग से अथवा एक आपातकालीन उपाय के रूप में लाभ प्राप्त करने की जरूरत होती है तब उसे पैरा 1 के उप पैरा (3) में उल्लिखित उपर्युक्त अपेक्षित समय जो तीस दिन से अधिक नहीं है, का पालन करने पर ऐसे लाभ लेने से मना नहीं किया जाए।

2. उपर्युक्त सूचीबद्ध योजनाओं के तहत सुविधाजनक रूप से और बिना किसी कठिनाई के छात्रवृत्ति लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने इस योजना का कार्यान्वयन करने वाले प्रभारी विभाग निम्नलिखित व्यवस्थाओं सहित सभी अपेक्षित व्यवस्था करेंगे:-

(क) योजनाओं के तहत आधार की अपेक्षा के बारे में लाभार्थियों को अवगत करने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो 30 जून, 2017 तक अपने क्षेत्रों के समीपवर्ती नामांकन केंद्र में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) सूची उपलब्ध करायी जाए।

(ख) यदि योजना के लाभार्थी उनके निवास के समीप यथा प्रखंड अथवा तालुक अथवा तहसील के भीतर नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं, यह अपेक्षित है कि राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में इस योजना का कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लाभार्थियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में इस योजना के कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध संबंधित वेबपोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अपने नाम, पता, मोबाइल नं. तथा अन्य ब्यौरा देकर आधार नामांकन हेतु अपना अनुरोध पंजीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना भारत के शासकीय राजपत्र में असम, मेघालय और जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 14016/2/2017-डीबीटी]

आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2017

S.O. 682(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar also obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as Ministry), Government of India, is implementing a Centrally Sponsored Scheme through the concerned State Governments and Union Territory Administrations for 'implementation of the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989' (hereinafter referred to as Scheme) which inter-alia, provides for relief and rehabilitation (hereinafter referred to as benefits) of victims of atrocities belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as well as incentives for inter-caste marriage, where one of the spouses is a member of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes (hereinafter referred to as beneficiary).

And whereas the funding pattern of the Scheme is such that the actual expenditure incurred on aforesaid items is shared on 50:50 basis between the Central Government and the State Government and the Union Territory administration receives 100% Central Assistance for the purpose;

And whereas, the aforesaid Scheme involves full or part expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible to receive the benefits under the said Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess an Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to apply for Aadhaar enrolment by 30th June 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department in charge of implementing the scheme in the State Government or Union Territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementing the Scheme in the State Government or Union Territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:—

- (a) (i) if she/he has enrolled, her/his Aadhaar Enrolment ID slip; or
 - (ii) a copy of her/his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and
- (b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card, or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) NREGA Job Card; or (viii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (ix) any other documents specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or Union territory Administration in charge of implementation of the Scheme for the purpose.

Provided also that when a beneficiary needs to avail benefits in a time bound manner or as an emergency measure, he or she shall not be denied such benefits subject to his or her subsequently complying to above requirement mentioned in sub-para (3) of para 1 not later than thirty days.

2. In order to provide convenient and hassle free flow of benefits under the Scheme, the Department in charge of implementation of the Scheme in State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries of the Scheme are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementing the Scheme in the State Government or Union Territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number with other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory Administration or through web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette of India in all the States and Union Territories Administration except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No.14016/2/2017-DBT]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.